भारतीय विदेश व्यापार संस्थान

बी-21, कुतुब इंस्टीट्यूशन एरिया
नई दिल्ली-110016

21.06.2021 को ऑनलाइन आयोजित नराकास (दक्षिण दिल्ली-3) की बैठक के कार्यवृत्त पर की गई अनुवर्ति कार्रवाई रिपोर्ट।

क्र.सं.	बैठक के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय/सुझाव	संस्थान के स्तर पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई
1.	"क" और "ख" क्षेत्र में **शत-प्रतिशत** तथा "ग" क्षेत्र में 65 प्रतिशत पत्र व्यवहार हिंदी में करने के लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा।	संस्थान द्वारा "ग" क्षेत्र में 65 प्रतिशत पत्र व्यवहार हिंदी में करने के लक्ष्य को पहले प्राप्त किया जा चुका है तथा "क" और "ख" क्षेत्र में शत-प्रतिशत पत्र व्यवहार हिंदी में करने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निम्न उपायों का अनुकरण करते हुए यथा संभव प्रयास किए जा रहे हैं: i) गूगल अनुवाद की मदद से अधिकाधिक द्विभाषी पत्राचार करना। ii) हिंदी कक्ष से अनुवाद संबंधी मदद लेते हुए मानक पत्रों को द्विभाषी रूप में जारी करना। iii) अंग्रेजी शब्दों के लिप्यांतरण के साथ मसौदे का सरलीकरण करते हुए पत्रों को द्विभाषी रूप में जारी करना। iv) नियुक्ति पत्रों को द्विभाषी रूप में जारी करने का प्रयास करना। v) संस्थान की ओर से जारी किए जाने वाले पत्रों पर हिंदी में हस्ताक्षर करने का प्रयास करना।
2.	"क" और "ख" क्षेत्र में अंग्रेजी में प्राप्त होने वाले पत्रों का उत्तर शत-प्रतिशत हिंदी में दिया जाएगा।	संस्थान में अंग्रेजी में प्राप्त होने वाले पत्रों का उत्तर शत-प्रतिशत हिंदी में दिए जाने हेतु क्रम सं.1 की अनुवर्ती कार्रवाई में निर्धारित उपायों को अपनाने के साथ-साथ संस्थान के कर्मचारियों/अधिकारियों को कंप्यूटर पर हिंदी टंकण व मशीनी अनुवाद का ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया है। इस प्रकार, अंग्रेजी पत्रों का उत्तर हिंदी/द्विभाषी रूप में भेजना सुनिश्चित किया गया है।

क्र.सं.	बैठक के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय/सुझाव	संस्थान के स्तर पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई
3.	प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों को शत-प्रतिशत काम हिंदी में करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।	संस्थान में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों को शत-प्रतिशत काम हिंदी में करने के संदर्भ में प्रेरित करने हेतु छमाही प्रोत्साहन योजना का प्रावधान किया गया है तथा सभी सदस्यों को कंप्यूटर प्रणाली पर हिंदी में कार्य करने का प्रशिक्षिण दिया गया है। इसके अतिरिक्त, राजभाषा नियम 1976 के नियम 8(4) के अंतर्गत कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर से प्रवीणता प्राप्त सदस्यों को अपना विनिर्दिष्ट कार्य हिंदी में किए जाने के लिए समय-समय पर आदेश जारी किए गए हैं।
4.	सदस्य कार्यालय प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की एक बैठक और एक कार्यशाला का आयोजन सुनिश्चित करेगा।	संस्थान में प्रत्येक तिमाही में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की एक बैठक व एक कार्यशाला का आयोजन नियमित रूप से किया जा रहा है।
5.	राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3), नियम-5 का पूरी तरह अनुपालन किया जाएगा।	संस्थान में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3), के अंतर्गत सभी दस्तावेज/कागज केवल द्विभाषी रूप से जारी किए जा रहे हैं।
6.	कार्यशालाओं के आयोजन के लिए विशेषज्ञों का पैनल बनाने की दिशा में कदम उठाया जाएगा।	नराकास कार्यालय से संबंधित

प्रमोद गुप्ता

(डॉ. प्रमोद कुमार गुप्ता)
कुलसचिव

अत: उक्त अनुपालनात्मक रिपोर्ट कृपया अपेक्षित कार्यवाही हेतु अग्रेषित है।

कुलसचिव/Registrar
भारतीय विदेश व्यापार संस्थान
Indian Institute of Foreign Trade
नई दिल्ली/New Delhi-110016